

## आदेश

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में आमेलित वरिष्ठ सहायकों को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-2004 के नियम 20(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठ सहायक के पद पर आमेलन की तिथि से 02 वर्ष की निर्धारित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को स्तम्भ-05 में अंकित तिथियों से वरिष्ठ सहायक के पद पर स्थायी किया जाता है:-

क्र० सं०	वरिष्ठ सहायक का नाम	वर्तमान तैनाती का जनपद	विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर आमेलन की तिथि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त वरिष्ठ सहायक के पद पर स्थायीकरण की तिथि
1	2	4	5	5
1	श्री शैलेन्द्र तिवारी	प्रतापगढ़	11-04-2015	10-04-2017
2	श्री सुनील कुमार पाण्डेय	कानपुर नगर	11-04-2015	10-04-2017
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	वाराणसी	11-04-2015	10-04-2017
4	श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव	सहारनपुर	11-04-2015	10-04-2017
5	श्री अशोक कुमार शर्मा	मैनपुरी	11-04-2015	10-04-2017
6	श्री सुनहरी लाल	अलीगढ़	11-04-2015	10-04-2017
7	श्री भास्कर उपाध्याय	रायबरेली	11-04-2015	10-04-2017
8	श्री गोपाल	मुख्यालय	11-04-2015	10-04-2017
9	श्री कृष्ण कुमार वर्मा	अमेठी	11-04-2015	10-04-2017
10	श्री रामराखन पाण्डेय	सेवानिवृत्त (दि० 30-06-2017)	11-04-2015	10-04-2017
11	श्री रामजी मौर्य	फैजाबाद	11-04-2015	10-04-2017

उपरोक्त कार्मिकों का विभाग में तैनात वरिष्ठ सहायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

( अनिल कुमार सागर )  
निदेशक।

निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश,  
10वां तल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 1695/पि०व०क०/2017-18,

लखनऊ : दिनांक

13 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि: -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1
- 3- सम्बन्धित उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र०।
- 4- सम्बन्धित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक।
- 6- व्यक्तिगत पत्रावली।

( अजित प्रताप सिंह )  
उपनिदेशक।